न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय सं0 01, मेरठ।
उपस्थित – अभय प्रताप सिंह–द्वितीय (एच0जे0एस0)
UPME010091952026

नियमित जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 2650/2025
कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन सं0 3273/2025

जाकिर पुत्र रजा मौहम्मद निवासी गली सं0 12, श्याम नगर, थाना लिसाड़ी गेट, जिला मेरठ।
.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 राज्य.....विपक्षी

मु0अ0सं0 224/2026
धारा–303(2), 317(2), 317(4) बी0एन0एस0
थाना–मवाना, जिला मेरठ।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी– श्री सचिन मोहन
प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता– श्री अलीम अख्तर अंसारी

10.07.2026–

अभियुक्त जाकिर पुत्र रजा मौहम्मद की ओर से प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र मु0अ0सं0 224/2026, अन्तर्गत धारा 303(2), 317(2), 317(4) बी0एन0एस0, थाना मवाना, जिला मेरठ के अभियोग में नियमित जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्ध है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक तहरीर के आधार पर इस प्रकार है कि वादी मुकदमा दिनांक 03.06.2026 को जिला सहकारी बैंक की मुख्य शाखा मवाना (गुड मंडी मवाना) से अपने खाते से पैसे निकालकर अपने कपड़े के थैले में रखकर बैंक से बाहर निकला तथा पास ही मंदिर के सामने 2 नं0 वाली साजिद की सब्जी की दुकान से सब्जी खरीदने लगा, इसी दौरान सब्जी की दुकान के पास ही किन्ही अज्ञात चोरो ने मेरे थैले मे चीरी लगाकर उसमे रखे 200–200 रू0 के 165 नोट कुल रकम 33,000/– रू0 चोरी कर लिये है। यह घटना दिनांक–03.02.2026 को सुबह 10.45 बजे से 11.00 बजे के मध्य हुई है जिसकी बाद मैनें सब्जी की दुकान पर जाकर जानकारी की तो पता चला कि वारदात को अंजाम देने वाले तीन व्यक्ति थे। मैं एक वृद्ध किसान व्यक्ति हूँ और उक्त रकम मेरी के 0 सी0 सी0 के लोन के पैसे थे जिनको चोरो ने चोरी कर लिया है। उचित कार्यवाही करते हुए प्रार्थी/वादी मुकदमा के 33,000/–रूपये वापस दिलवाने की कृपा करे। उक्त तहरीर के आधार पर उपरोक्त मुकदमा पंजीकृत किया गया।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है, वह निर्दोष है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त मौके से गिरफ्तार नहीं है, न ही प्रार्थी/अभियुक्त से कुछ भी बरामद है, दर्शायी गयी बरामदगी फर्जी व झूठी है। उपरोक्त केस की प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित घटना स्थल तथा दर्शाया गया बरामदगी वाले स्थल में करीब डेढ़ कि०मी० की दूरी है, तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना दिनांक 03.06.2026 की बतायी गयी है तथा बरामदगी दिनांक 12.06.2026 की बतायी गयी है, उक्त कथन स्वयं ही हास्यास्पद है कि कोई व्यक्ति चोरी करके, उसी स्थान पर घूमेगा। पुलिस थाना हाज़ा द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 10.06.2026 को समय करीब सांय 07:00 बजे खाना खाते समय घर से गिरफ्तार किया गया तथा अपनी अवैध हिरासत में रखकर उपरोक्त मुकदमें में झूठा फंसा दिया गया , प्रार्थी/अभियुक्त का उक्त केस से कोई सम्बन्ध व वास्ता किसी भी प्रकार का नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध जनता का कोई स्वतंत्र साक्षी भी नहीं दर्शाया गया है जबकि घटनास्थल मेरठ शहर का एक भीड़–भाड़ वाला क्षेत्र है। प्रार्थी/अभियुक्त का अब तक का जीवन बेदाग है अर्थात प्रार्थी/अभियुक्त पूर्व सजायाफ्ता नहीं है। दौराने ज़मानत प्रार्थी/अभियुक्त के भागने या गवाहों को तोड़ने का कोई भी अंदेशा नहीं है तथा जब भी माननीय न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त को तलब करेगा, तभी प्रार्थी/अभियुक्त स्वयं के

खर्चे से न्यायालय में उपस्थित होगा। प्रार्थी/अभियुक्त का आज तक कोई भी ज़मानत प्रार्थना पत्र किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और किसी भी न्यायालय द्वारा कोई ज़मानत प्रार्थना पत्र निरस्त भी नहीं किया गया है, यह प्रथम ज़मानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से माननीय न्यायालय में प्रथम बार दिया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त अपनी ज़मानत हेतु माननीय न्यायालय द्वारा आदेशित किये जाने के उपरान्त माननीय न्यायालय की संतुष्टि के लिए उचित धनराशि की ज़मानत देने को तैयार है। प्रार्थी/अभियुक्त की मफरूरी का कोई अंदेशा नहीं है। उक्त तथ्यों के आधार पर याचना है कि प्रार्थी/अभियुक्त की दौराने विचारण जमानत स्वीकार कर न्यायिक हिरासत से रिहा किया जाए।

उपरोक्त के विरूद्ध विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र का प्रबल विरोध किया गया।

अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र पर विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रपत्रों के परिशीलन से यह विदित होता है कि अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्त पर सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादी मुकदमा के 33,000/–रूपये उसके थैले से चोरी करने का आरोप है। फर्द बरामदगी दिनांक 12.06.2026 के अवलोकन से यह विदित होता है कि अभियुक्त जाकिर पुत्र रजा मौहम्मद की गिरफ्तारी के समय उससे 2200/–रूपये बरामद हुए है। बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज है। प्रस्तुत मामले में अभियुक्त दिनांक 12.06.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध बताया गया है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त के कुल 25 मामलों का आपराधिक इतिहास बताया गया है किन्तु किसी भी मामले में दोषसिद्ध के संबंध में कोई प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त के पैरोकार द्वाराशपथपत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि अभियुक्त सभी मामलों में जमानत पर है। प्रस्तुत मामले की विवेचना प्रचलित है।

मामले के उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण दोष पर अधिक टिप्पणी किये बगैर अभियुक्त को जमानत देने का आधार पर्याप्त है। तद्नुसार उक्त जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त जाकिर पुत्र रजा मौहम्मद की ओर से मु0अ0सं0 224/2026, अन्तर्गत धारा 303(2), 317(2), 317(4) बी0एन0एस0, थाना मवाना, जिला मेरठ के प्रकरण में प्रस्तुत उक्त जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को अंकन 75,000/– (पिछत्तर हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर जमानत पर रिहा कर किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त निम्न शर्तों का अनुपालन करेगा–

1– यह है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा वाद में साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर साक्षीगण के उपस्थित रहने पर न्यायालय में कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

2– यह कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा दौरान जमानत साक्षीगण को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा।

3– यह है कि विवेचना/विचारण में सहयोग करेगा।

4– यह है कि प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

5– उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन करने पर यह जमानत आदेश निष्प्रभावी माना जायेगा।

6– इस आदेश की एक प्रति ई–मेल के माध्यम से जेल अधीक्षक को प्रेषित की जाये।

दिनांक–10.07.2026

(अभय प्रताप सिंह–द्वितीय)
अपर सत्र न्यायाधीश,
त्वरित न्यायालय सं0 01, मेरठ।
जे0ओ0कोड–यू0पी0 1815

This is uncertified copy for information reference. For authentic copy please refer to certified copy.

Digitally signed by ABHAY PRATAP SINGH
Date: 2026.07.10 19:10:35 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court